कार्यालय–हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर

वाहन अनुबन्ध हेतु निविदा सूचना

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर के उपार्जन, विपणन एवं सुपरवीजन कार्यो हेतु अनुबन्ध के आधार पर पिकअप/बोलेरो (ए0सी0)/टाटा ऐस/समकक्ष वाहनों की आवश्यकता है।

अतः इच्छुक निविदादाताओं से शील बन्द निविदा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर/निविदा पेटिका के माध्यम से दिनांक 27.12.2024 को अपराह्न 1:00 बजे तक हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर के प्रधान कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं, जिन्हें उसी दिन दिनांक 27.12.2024 को सांय 1:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोला जायेगा। इच्छुक निविदादाता किसी भी कार्य दिवसों में निविदा का विवरण, नियम एवं शर्तो सहित निविदा फार्म संस्था के प्रशासन अनुभाग से मु0 **1000.00** नगद जमा कर दिनांक 27.12.2024 के अपराहन 12.30 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं, निविदा फार्म व शर्ते यू0सी0डी0एफ0लि0, की बैवसाईट **www.ucdfaanchal.org** से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस हेतु पृथक से मु0 100**0.00** का बैंक ड्राफ्ट जो संस्था के पक्ष मे हो, निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा। किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रधान प्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रधान प्रबन्धक

अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

निविदा फार्म– उपार्जन अनुभाग वाहन (तकनीकी बिड)–01

फार्म संख्या ______ निविदा प्रपत्र मूल्य– 1000 रु०(एक हजार रु०) (समस्त कर सहित)

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार)

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ–साफ अंकित करें।)

फोटो ग्राफ

1– मार्ग का नाम – : ....

2– निविदादाता का नाम – : ....

3– पिता/पति का नाम –: ....

4– स्थाई पता (अनिवार्य)– : ....

....

5– पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य)–..............................

....

6– दूरभाष संख्या (अनिवार्य)..............................

7– पैन कार्ड संख्या (निविदा शर्त संख्या 04 के अनुरूप) (संलग्न) ....

8– आधार कार्ड संख्या (संलग्न)..............................

9– जमा अर्नेस्ट मनी विवरण – बैंक का नाम ....

डाफ्ट संख्या .... धनराशि .... दिनांक ....

नगद जमा धनराशि .... रसीद संख्या .... दिनांक ....

10– वाहन से सम्बन्धित निम्न सूचनायें अंकित करें (निविदा शर्त संख्या 08 के अनुरूप)

क– वाहन का प्रकार .... माडल वर्ष..................भार क्षमता ....

ख– पंजीकरण संख्या ....पंजीकरण तिथि..................

ग– वाहन स्वामी का नाम ....बीमा की वैधता (संलग्न)..................

घ– वाहन परमिट की वैधता तिथि(संलग्न)..................फिटनैस(संलग्न)..................

11– निविदादाता द्वारा निम्न प्रपत्रों की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें (अनिवार्य)

क– वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर..................

ख– निविदा का स्थायी पता (आधार नम्बर/मतदाता पहचान पत्र) (संलग्न)..................

ग– निविदा मूल्य की जमा रसीद/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति..................

घ–धरोहर/अर्नेस्ट मनी जमा करने सम्बन्धी संस्था की रसीद की मूलप्रति/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति......

निविदा शर्ते संलग्न

ह0 निविदादाता ....

दिनाँक..................

पूरा नाम ....

पताः– ....

Scanned with OKEN Scanner

निविदा फार्म– उपार्जन अनुभाग वाहन (वित्तीय बिड)–02

फार्म संख्या–

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार)

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ–साफ अंकित करें।)

1– मार्ग का नाम – : ....

2– निविदादाता का नाम – : ....

3– पिता/पति का नाम –: ....

4– स्थाई पता (अनिवार्य)– : ....

....

5– वाहन के किराये की दरें –:

1– रूपया प्रति दिन (दिहाडी) अंकों में ....रूपये

शब्दों में ....रूपये

(डीजल औसत, संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही देय होगे, जो संलग्न निविदा शर्तो मे अंकित है)

घोषणा

निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देश एवं शर्तो को मैने अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है। मैं निविदा मे उल्लेखित शर्तो के अधीन उधमसिहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 खटीमा मे अपना वाहन लगा कर कार्य करने के लिये सहमत हूँ ।

उक्त प्रतिष्टियाँ मैने स्वयं भरी है/भरवाई है और मेरी जानकारी मे पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनाये गलत पायी जाये, तो संस्था को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उक्त के सम्बन्ध मे हुये निविदा /अनुबन्ध को बिना नोटिस दिये निरस्त कर दें। अर्नेस्ट मनी के रूप मे जमा की गयी धनराशि रू0 . ... की रसीद संख्या/ड्राफ्ट संख्या .... दिनॉक............................इस निविदा फार्म के साथ संलग्न है।

नोट– वाहन के प्रपत्रो के साथ किसी प्रकार की छेडछाड, गलत सूचना सिद्ध होने पर संस्था द्वारा निविदा को निरस्त कर अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए 03 वर्षो हेतु संस्था की किसी भी प्रकार की निविदा/कोटेशन मे प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

ह0 निविदादाता ....

दिनाँक..........................

पूरा नाम ....

पताः– ....

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार)
उपार्जन अनुभाग वाहन निविदा की शर्ते एवं आवश्यक निर्देश

01—: एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।

02—: निविदायें, प्रधान प्रबन्धक, हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार) के नाम से निविदा पेटी में दिनाँक 27—12—2024 को निविदायें अपराहन 01:00 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगीं जो कि उपरोक्तानुसार अपराहन 01:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख दुग्ध संघ मुख्यालय कार्यालय शिकारपुर (हरिद्वार) में खोली जायेगीं। रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्धित समस्त मार्गों की निविदायें दिनांक 27—12—2024 को दोपहर 01:00 बजे तक दुग्ध संघ मुख्यालय शिकारपुर (हरिद्वार) के पते पर ही स्वीकार की जायेगी। डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

03—: लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में **उर्पाजन कार्य हेतु निविदा एवं मार्ग** का नाम तथा निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। निविदा की शर्ते एवं आवश्यक निर्देश के अन्त मे स्थायी पता अंकन करना अनिवार्य होगा।

04— निविदा फार्म मे निविदादाता को स्वप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ लगाना होगा तथा एक फोटोयुक्त पहचान पत्र (डी0एल0/आधार कार्ड आदि) निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को पैन कार्ड की छायाप्रति एक माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी अन्यथा नियमानुसार टैक्स की कटौती बिलों से कर ली जायेगी ।

05—: वाहन का मॉडल 2018 से कम नही होना चाहिये।

06—: निविदा मे पावर आफ एर्टोनी एवं वाहन से संबंधित कम्पनियों का कोटेशन मान्य नही होगी।

07:— निविदादाता को दुग्ध संघ हरिद्वार में किसी भी अनुभाग में बकायेदार नहीं होना चाहिए।

08—: समान दरें प्राप्त होने पर नये मॉडल के वाहन को वरीयता दी जायेगी।

09—: **निविदा फार्म के साथ वाहन की आर0सी0, परमिट एवं समस्त सही (वैध) प्रपत्र साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह के भीतर समस्त वैध प्रपत्रो की स्वप्रमाणित छाया प्रति निविदा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तद्उपरान्त ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।**

10—: वाहन निविदादाता के नाम पर पंजीकृत होना चाहिये। अन्य किसी भी प्रकार का **प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/विकय पत्र/कोटेशन आदि मान्य नही होगे।**

11—: **उत्तराखण्ड राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनो** को निविदा मे भाग लेने पर निविदा के साथ उत्तराखण्ड राज्य मे जमा टैक्स आदि के वैध प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न करने होगे।

13—: संस्था में जमा अर्नेस्ट मनी की रसीद की मूल प्रति/छाया प्रति अथवा बैंक ड्राफ्ट जो इस संस्था के नाम से देय हो मूल रूप में संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी ।

14—: वाहन हेतु मु0 5000 (पाँच हजार रू0 मात्र) अर्नेस्ट मनी नगद/ड्राफ्ट से जमा करानी होगी। रसीद की छाया प्रति या बैंक ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा। चैक मान्य नही होगा, पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी इस निविदा में मान्य नही होगी।

15—: यू0सी0डी0एफ0 की वैबसाईड www.ucdfaachal.org से निविदा डाउनलोड किये जाने पर, निविदा फार्म शुल्क के रूप मे रू0 1000.00 की जमा रसीद/ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16—: एक धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) से एक ही निविदा भरी जायेगी। एक धरोहर राशि से एक से अधिक निविदाये भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदाये स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

17—: निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र मे दिये गये वाहन की निविदा स्वीकार हो जाने के पश्चात किसी भी दशा मे उसके प्रतिनिधि को निविदा हस्तांतरित नही की जा सकेगी।

18—: निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अधीन होगा।

19—: संस्था के दुग्ध मार्गो मे समितियॉ एवं दूरी बढाई/घटाई जा सकती है। आवश्यकता नही होने पर बिना कारण बताये एक मॉह के नोटिस पर वाहन हटाया जा सकता है।

20—: डीजल का भुगतान साधारण डीजल की दर से संलग्न विवरण के अनुसार देय होगा।

Scanned with OKEN Scanner

21–: जमानत धनराशि निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त पिकअप/रामकक्ष वाहनो के लिये रू0 30,000.00 (तीस हजार) जमानत धनराशि संस्था कोषागार मे नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के नाम से हो जमा करना अनिवार्य होगा, जिस पर संस्था द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।

22–: निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को संस्था के साथ अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध की शर्ते किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है, अनुबन्ध करने हेतु मु0 100.00 रू0 का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा।

23–: शासन द्वारा संचालित जिला योजना एवं राज्य योजना के अन्तर्गत साईलेज/पशुआहार चारा परिवहन अनुदान एवं भूसा ब्लॉक समितियों की मॉग के अनुसार परिवहनकर्ता के द्वारा समितियों को उपलब्ध कराना होगा, जिसका परिवहन व्यय शासन द्वारा निर्धारित दरों पर संस्था द्वारा देय होगा, जिसका समायोजन शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि में किया जायेगा।

24–: अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष की होगी। आवश्यकता पडने पर अनुवन्ध समाप्ति के पश्चात 06–06 मॉह हेतु दो बार (अधिकतम 1 वर्ष हेतु) उन्ही दरो एवं शर्तो पर अवधि बढाये जाने पर निविदादाता को दुग्ध ढुलान करने की बाध्यता होगी तथा बढाई गयी अवधि मे भी अनुवन्ध की समस्त शर्ते निविदादाता को मान्य होगी।

25–: प्रत्येक मार्ग के लिये अलग–अलग निविदा प्रपत्र भरकर देना होगा। एक वाहन से केवल एक ही मार्ग की निविदा मान्य होगी। दो अथवा अधिक मार्गो के लिये एक ही वाहन की निविदा भरे जाने पर निविदादाता की समस्त मार्गो की निविदाये निरस्त कर अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी।

26–: निविदा स्वीकृत होने पर निविदा मे उल्लेखित वाहन की आर0सी0, बीमा, रोड टैक्स, फिटनैस, परमिट, प्रदूषण एवं पैन कार्ड के मूल प्रपत्र कमेटी के सम्मुख निविदा स्वीकार होने की सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रस्तुत करने होगे तथा उक्त की प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात उक्त सभी प्रपत्रों के सम्बन्ध मे समस्त वैधानिक जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

27–: निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को वाहन के निरीक्षण हेतु सूचना मिलने पर निर्धारित तिथि को वाहन सहित दुग्ध संघ मुख्यालय शिकारपुर (हरिद्वार) में स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

28–: निविदा फार्म में ओवर राईटिंग मान्य नही होगी। त्रुटि हो जाने पर ओवर राईटिंग न कर कटिंग करते हुए पुनः स्पष्ट रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

29–: निविदा स्वीकार होने के उपरान्त आवश्यकता या अपरिहार्य कारण से वाहन के मार्ग को परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें निविदादाता को कोई आपत्ति नही होगी।

30–: चालक/परिचालक की व्यवस्था परिवहनकर्ता को स्वयं करनी होगी। चालक का नाम, पता तथा डी0एल0 की छाया प्रति कार्यादेश प्राप्त करते समय संस्था को उपलब्ध करानी होगी। चालक के बदलने पर सूचना कार्यालय को देनी होगी। वाहन के समस्त रख रखाव की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

31–: सरकार द्वारा वाहनों पर लगाये जाने वाले समस्त कर आदि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा इसके लिये संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

32–: उपार्जन मार्गो पर लगने वाले कर जैसे पथकर, सेतुकर आदि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा किया जायेगा।

33–: निविदा स्वीकार होने पर दुग्ध संघ की नाममात्र की सदस्यता लेनी होगी।

34–: निविदा फार्म के साथ मार्गवार दी गयी दूरी अनुमानित है, कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त संस्था के प्रतिनिधि द्वारा परिवहनकर्ता के साथ मार्ग की दूरी का सत्यापन किया जायेगा, उसी के अनुसार भुगतान देय होगा।

35–: अनुबन्ध होने पर अनुबन्ध की अवधि प्रत्येक दशा मे पूर्ण करनी होगी। अनुबन्ध अवधि मे परिवहनकर्ता द्वारा वाहन हटाये जाने पर जमा जमानत धनराशि जब्त कर दी जायेगी।

36–: निविदा प्रपत्र के साथ निविदा से सम्बन्धित सभी आवश्यक निर्देशों एवं मुख्य शर्तो को भलीभॉति पढकर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा फार्म मे संलग्न करना अनिवार्य है।

37–: निविदादाता को वाहन की बाडी ऊपर तक बड़ानी होगी तथा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों को धूप से बचाने हेतु निविदादाता को अपनी वाहन में फाईबर/मोटे कपड़े का तिरपाल लगाना होगा। वाहन में तिरपाल न लगाये जाने पर मु0 100.00 (एक सौ) रूपया प्रतिदिन का आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

वाहन मे अच्छी गुणवत्ता का तिरपाल लगाना अनिवार्य होगा। वाहन मे तिरपाल न लगे होने की स्थिति मे वाहन के समय पर पहुचने पर भी यदि दुग्ध समितियों का दूध खट्टा/फटने की स्थिति में जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी तथा उसके दुग्ध ढुलान बिलो से खट्टे/फटे हुए दूध की धनराशि वसूली संबंधित परिवहनकर्ता से कर ली जायेगी। परिवहनकर्ता द्वारा तिरपाल न लगाने पर संस्था द्वारा प्रतिदन मु0 100 की दर से पैनाल्टी लगायी जा सकती है।

38– निविदादाताओं को निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर बैक खाता न0 उपलब्ध करना अनिवार्य होगा, किसी भी निविदादाता को नगद भुगतान देय नही होगा।

39– अनुबन्धित दुग्ध वाहन पर जीआई सीट फ्लैक्सी जिसमें दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्रचार–प्रसार हो को संस्था द्वारा लगाया जायेगा, जिसका वास्तविक भुगतान दो किस्तों में परिवहनकर्ता से काटा जायेगा, जो अनुबंधकर्ता को मान्य होगा।

40–: यह कि संस्था मे कार्यरत कर्मचारी अथवा उसके आश्रित की निविदा स्वीकृत नही की जायेगी । जिसे उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम संख्या 2(ग) के अनुसार किसी कर्मचारी के "परिवार का सदस्य" को निम्नवत परिभाषित किया गया है–

नियम संख्या–2 (ग):–

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लडका, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लडकी चाहे वह उनके साथ रहता/रहती हो अथवा नही, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति,

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त संबंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या संबंधी हो या ऐसे सरकारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नही होगी/सम्मिलित नही होगा, जो सरकारी कर्मचारी सें विधितः पृथक की गई हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लडका, सौतेला लडका अविवाहित सौतेली लडकी सम्मिलित नही होगा, या/सम्मिलित नही होगी जो आगे के लिये, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नही है या जिसकी अभिरक्षा (custody) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

41–: निविदादाताओं को वाहन संचालन हेतु समस्त वैधानिक कार्यवाहियॅा एवं चालक/परिचालक का बीमा, ई0पी0एफ0 वाहन स्वामी द्वारा स्वयं पूर्ण करना होगा।

42–: निविदा में तकनीकी बिड की शर्तो को पूर्ण करने के उपरान्त ही वित्तीय बिड का लिफाफा खोला जायेगा। यह कि निविदा टू–बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफें में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जायें तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफे में ऊपर वित्तीय बिड लिखा जाये एवं दोनों लिफाफों को अलग–अलग बन्द कर एक बड़े लिफाफें में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी।

43–: एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधान प्रबन्धक, हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 शिकारपुर (हरिद्वार) के पास सुरक्षित होगा।

44–:उपार्जन मार्गो हेतु वाहन की निविदा स्वीकृत होने के उपरांत निविदादाता को वाहन में अनिवार्यरूप से अच्छी गुणवत्ता का कैमरा वाहन में लगाना होगा। यदि निविदादाता द्वारा कैमरा नही लगाया जाता है तो सस्था द्वारा वाहन में कैमरा लगाया जायेगा जिस पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति निविदादाता के परिवहन बिल से कर ली जायेगी।

45–: यदि वाहन चालक/स्वामी द्वारा दूध एवं दूध पदार्थो की चोरी करते हुये पकड़ा जाता है तो जिस तिथि से वाहन संस्था की सेवा में आया है उस तिथि से चोरी में पकड़े जाने की तिथि तक चोरी किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थ की धनराशि की वसूली एवं जमानत धनराशि जब्त करते हुये वाहन संस्था की सेवा से ब्लैक लिस्ट करते हुये पृथक कर दिया जायेगा।

46–: समितियों द्वारा मंगाये गये घी, पशु आहार आदि को समिति में यथावत नहीं पहुचाया जाता है तो निविदादाता पर पैनाल्टी लगायी जा सकती है या वाहन की जमानत धनराशि जब्त करते हुये वाहन संस्था की सेवा से ब्लैक लिस्ट करते हुये पृथक किया जा सकता है।

47–: पूर्व में जो वाहन स्वामी एवं वाहन संख्या ब्लैक लिस्ट किये गये हैं उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। वर्तमान एवं पूर्व में संस्था की सेवा में कार्यरत वाहन स्वामी/वाहन संख्या को संस्था के उस अनुभाग

Scanned with OKEN Scanner

से संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

48—: यह कि सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मों को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019—शासनादेश सं०1542/VII-3-19/143-उद्योग 2/2003 दिनांक 20 अगस्त 2019 की शर्तों के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।

49—: किसी भी प्रकार के विवाद में निबंधक, दुग्ध सहकारी समितियॉ डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) का निर्णय मान्य होगा।

नोट— उपरोक्तानुसार कम संख्या 01 से 49 तक की शर्ते पढकर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

निविदादाता की घोषणा

विपणन अनुभाग की प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देशों एवं शर्तों (सम्पूर्ण निविदा फार्म) को भलि—भॅाति पढ़ लिया गया है। मैं निविदा की शर्तों एवं निर्देशों (कमांक 01 से 49 तक) के अनुसार अपना वाहन **हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार)** में लगाने तथा अनुबन्ध करने के लिये सहमत हूँ।

उपयुक्त प्रविष्टियॉ मैने स्वयं भरी/भरवाई हैं, और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनायें गलत पायी जाती हैं, जो संस्था को निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

दिनांक :—

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम निविदादाता

पूरा पताः— ....

....

....

....

मोबाईल नम्बर—..

Scanned with OKEN Scanner

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार)

उपार्जन मार्गो के वाहन निविदा हेतु आवश्यक वाहनों का विवरण

उपार्जन मार्गो हेतु वाहन

क0स0	मार्ग का नाम	वाहन का प्रकार	अनुमानित दूरी प्रतिदिन
1	खानपुर प्रथम	पिकअप / टाटा ऐस / समकक्ष	प्रातः एवं सांय 250
2	खानपुर द्वितीय	पिकअप / टाटा ऐस / समकक्ष	प्रातः एवं सांय 234
3	नारसन प्रथम	पिकअप / समकक्ष	प्रातः एवं सांय 168
4	नारसन द्वितीय	पिकअप / समकक्ष	प्रातः एवं सांय 152
5	भगवानपुर प्रथम	पिकअप / समकक्ष	प्रातः एवं सांय 134
6	भगवानपुर द्वितीय	पिकअप / समकक्ष	प्रातः एवं सांय 203
7	इकबालपुर	पिकअप / समकक्ष	प्रातः एवं सांय 144
8	कलियर	पिकअप / समकक्ष	प्रातः एवं सांय 270
9	घाड़	पिकअप / टाटा ऐस / समकक्ष	प्रातः एवं सांय 220

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार)

संस्था द्वारा डीजल चार्ज निम्नानुसार देय होगा

क0 सं0	वाहन का प्रकार	डीजल प्रति लीटर
1	पिकअप / समकक्ष	10 किमी0 पर 01 लीटर डीजल
2	टाटा ऐस	15 किमी0 पर 01 लीटर डीजल

Scanned with OKEN Scanner